164

20 Rs. COURT FEE 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /12 निगरानी आवेदन R-1822-I/12

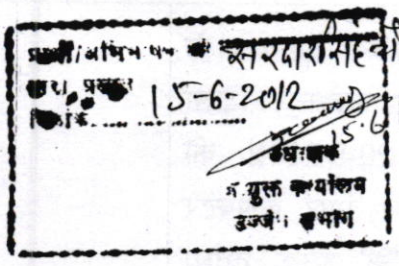

सरदारसिंह चौहान 15-6-2012

भगतराम दत्तक पुत्र हीरालालजी कुलमी निवासी ग्राम भटुनी तहसील शामगढ जिला मंदसौर म.प्र.

..........आवेदक/निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. कैलाशचन्द्र पिता गंगारामजी पाटीदार
2. रमेशचन्द्र पिता कैलाशचन्द्र पाटीदार
3. गोविन्द पिता कैलाशचन्द्र पाटीदार

समस्त निवासीगण ग्राम भटुनी तहसील शामगढ जिला मंदसौर म.प्र. ....अनावेदकगण

161
15/6/2012

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व सहिता 1959

20/6/12

माननीय महोदय

आवेदन निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत हैः–

22-6-12

प्रकरण के तथ्य

यह कि आवेदक की ओर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार महोदय शामगढ के समक्ष अनावेदकगण/प्रतिप्रार्थी के विरूद्व रास्ता दिलाये जाने हेतू आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131 म.प्र. भूराजस्व सहिता तथा प्रकरण के बिचारण के दौरा अंतरिम रूप से रास्ता दिलवाये जाने हेतू धारा 32 म.प्र. भूराजस्व सहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा धारा 32 म.प्र. भूराजस्व सहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को दिनांक 24/2/12 को बिना गुण दौष पर विचार किये निरस्त कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय मंदसौर के समक्ष निगरानी आवेदन प्रकरण कमांक 62/निगरानी/11–12 प्रस्तुत किया जिसे माननीय अधिनस्थ न्यायालय, अपर कलेक्टर महोदय जिला मंदसौर द्वारा दिनांक 29/5/12 को अस्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक निगरानीकर्ता की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष नियत समयावधि मे निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है।

निरंतर..........02

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1822-एक/2012 जिला मंदसौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-4-18	आवेदकपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का ग्राह्यता के बिन्दु पर अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण आवेदक को रास्ता नहीं दिये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	